

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर/हजारीबाग/याँत्रिक,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 23-3-15

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड 49P470180789460543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष - 46 - सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड :- 49P470180789460543	352.403

आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ बावन लाख चालीस हजार तीन सौ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2014-15 के संशोधित बजट उपबंध तथा वित्त विभाग के पत्रांक-213/बजट, दिनांक- 09.03.2015 द्वारा तृतीय अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त राशि यथा कुल राशि रु. 700.00 लाख (सात करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

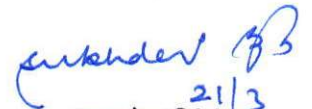
(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 25 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यार्पण कार्यवार, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 265

राँची, दिनांक :- 23-3-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड; पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग/तेनुघाट/बोकारो/देवघर/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 265

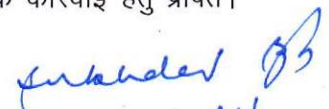
राँची, दिनांक :- 23-3-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक 265

दिनांक 23-3-15

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

1/2

मार्ग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)

विपत्र कोड- 49P470180789460543

वित्तीय वर्ष 2014-15 में संशोधित बजट उपबंध रु. 700.00 लाख (सात करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, देवघर (DGRCCMMF59)	देवघर	दरुआ वीयर योजना का पुर्नस्थापन कार्य	280.2960	82 / 13-14 प्र.स्वी. दिनांक-21.02.14	0.000	0.000	70.000	70.000	116141	
			दहुआजोर वीयर योजना का पुर्नस्थापन कार्य	358.5970	79 / 13-14 प्र.स्वी. दिनांक-20.02.14	0.000	0.000	10.000	10.000		
						योग	0.000	80.000	80.000		
2	तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट (BKRRIRR002)	हजारीबाग	तेनुघाट बाँध योजना के अन्तर्गत नहर आउटलेट के Emergency गेट की मरम्मति, Service गेट की मरम्मति एवं अधिखान, अतिरिक्त Balk head गेट स्वीलवे के आठ अवर Sluice gate, Radial gate, Gantry crane का मरम्मति कार्य	2349.3525	85 / 13-14 प्र.स्वी. दिनांक-26.02.14	240.000	0.000	180.000	180.000	116143	
						योग	0.000	180.000	180.000		
3	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIRR008)	हजारीबाग	बौधा जलाशय योजना का पुर्नस्थापन कार्य	132.5120	80 / 13-14 प्र.स्वी. दिनांक-22.02.14	0.000	7.500	32.500	40.000	116147	
						योग	7.500	32.500	40.000		
4	सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, देवघर (DGRCCMMF56)	याँत्रिक	Renovation of H/R gates of Shukhijor, Bankakend & Rameshwar Reservoir Scheme	6.2397	37 / 13-14 प्र.स्वी. दिनांक-23.09.13	0.000	0.000	6.240	6.240	116151	
			दरुआ वीयर योजना में ब्रेस्ट शटर एवं गेट इत्यादि के पुनर्स्थापन कार्य	8.7391	36 / 13-14 प्र.स्वी. दिनांक-23.09.13	0.000	0.000	9.902	9.902		
						योग	0.000	16.142	16.142		

(श्वेता कुमारी)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव

विपत्र कोड- 49P470180789460543

वित्तीय वर्ष 2014-15 में संशोधित बजट उपबंध रु. 700.00 लाख (सात करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			पलामू जिला अंतर्गत यांत्रिक प्रमंडल मंडल शिविर मेदिनीनगर के क्षेत्राधीन सदावह वीयर योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में चार अदर Sluice एवं चार अदर H/R Gates का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य के साथ-साथ उत्तेलन प्रणाली एवं स्लेट कर्म का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य	13.73	33 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक-14.09.13	7.720	0.000	6.180	6.180		
			यांत्रिक प्रमंडल मंडल शिविर, मेदिनीनगर अंतर्गत चारडंडा वीयर योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में दो (2) अदर Sluice Gates एवं एक (1) अदर H/R गेट का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन के साथ ही Hoisting Platform के चारो तरफ Railing बनाने का कार्य	5.545	42 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक-21.10.13	4.270	0.000	1.280	1.280		
			लातेहार जिला अंतर्गत यांत्रिक प्रमंडल, मंडल शिविर मेदिनीनगर के क्षेत्राधीन घाघरी वीयर योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में एक अदर H/R गेट एवं तीन अदर Sluice Gates, winch crab उत्तेलन प्रणाली इत्यादि का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य	27.98	40 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक- 03.10.13	10.000	0.000	16.221	16.221		
			यांत्रिक प्रमंडल मंडल शिविर, मेदिनीनगर के क्षेत्राधीन रामघाट वीयर योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में एक अदर H/R गेट एवं दो अदर Sluice Gate, उत्तेलन प्रणाली इत्यादि का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य	23.39	39 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक-03.10.13	13.000	0.000	3.210	3.210		
			यांत्रिक प्रमंडल मंडल शिविर मेदिनीनगर अंतर्गत बुटन झूला जलाशय योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में दो अदर H/R गेट दो अदर C/R गेट का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन, नया उत्तेलन प्रणाली स्लेटकर्म एवं शेड का निर्माण कार्य	20.88	34 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक-14.09.13	15.000	0.000	4.810	4.810		
			जिन्चोई वीयर योजना के पुनर्स्थापन के क्रम में 2 अदर H/R गेट का पुनर्निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य के साथ-साथ Hoisting Arrangement and Hoisting platform का मरम्मत कार्य	18.89	32 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक-14.09.13	8.790	0.000	10.670	10.670		
			बाया बाँकी वीयर योजना के 24 अदर क्रेस्ट शटर का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य	10.70	4 / 13-14 प्र०स्वी० दिनांक-09.05.13	8.850	0.000	1.390	1.390		
योग						0.000	43.761	43.761			
कुल योग						7.500	352.403	359.903			
आवृत्ति राशि - ₹ तीन करोड़ बावन लाख चालीस हजार तीन सौ मात्र।											

116154

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभिनो)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव